



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004  
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1<sup>st</sup> FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004  
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/स्पोर्ट्स कोटा/ 07/5387 दिनांक:-06.06.2018

प्रति,  
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-157/2018

**विषय:- Status of Indian Power Lifting Federation (IPF)**

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG दिनांक 31.05.2018, RBE No. 76/2018, Clarif./Corrg. No. 92 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	2010/E(Sports)/4(1)/1(policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010)	23/2011

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

**Web-site-**

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

**Share Folder-**

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 प्रूब)

(प्रदीप मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी.)  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

RBE No.76/ 2018

Clarification/Corrigendum No. 92


भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG

New Delhi, dated 31.05.2018

The General Managers (P),

All Zonal Railways including  
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,  
The CAO(R), DMW/Patiala,  
The DG, RDSO/Lucknow.



विषय: Status of Indian Powerlifting Federation (IPF).

संदर्भ: Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 1898/2010) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

23/2011

At present there are two factions of Indian Powerlifting Federation (IPF), none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Indian Powerlifting Federation (IPF) or its affiliated units after 03.10.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of ~~powerlifting~~, will be permissible for said purpose.

Powerlifting

(Bhaskar Roy Choudhury)  
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG

New Delhi, dated 21.05.2018

15/1/18

१/२

आरबीई सं. 76 /2018

स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 92

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएनजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

महाप्रबंधक (पी)

सभी क्षेत्रीय रेलों सहित

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., आरसीएफ, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./नखनऊ

विषय: इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)

(आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 03.10.2017 के पश्चात् इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों पर अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, पावरलिफ्टिंग के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमेष होंगे।

(भास्कर राय चौधरी)

उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएनजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018